न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 19/2021

1. बद्रीप्रसाद पुत्र स्व० श्री गंगाजल पुत्र स्व० श्री गुमानाराम जाति जाट (माली) निवासीगण धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बलवन्तराम पुत्र स्व० श्री गंगाजल पुत्र स्व० श्री गुमानाराम जाति जाट (माली) निवासीगण धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. रामकुमार पुत्र स्व० श्री गंगाजल पुत्र स्व० श्री गुमानाराम जाति जाट (माली) निवासीगण धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. महावीर प्रसाद पुत्र स्व० श्री गंगाजल पुत्र स्व० श्रीगुमानाराम जाति जाट (माली) निवासीगण धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़। (फौत)

4/1. श्रीमति रूकमणी धर्मपत्नी स्व० श्री महावीर प्रसाद।

4/2. राजपाल पुत्र स्व० श्री महावीर प्रसाद।

4/3. विजयपाल पुत्र स्व० श्री महावीर प्रसाद ।

5 श्योप्रकाश पुत्र स्व० श्री गंगाजल पुत्र स्व० श्री गुमानाराम जाति जाट (माली) निवासी धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पचायत धोलीपाल, पंचायत समिति हनुमानगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सरपच ग्राम पंचायत धोलीपाल, पंचायत समिति हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन् 1994 विरूद्ध आदेश क्रमांक 18 दिनांक 20.04.2021 ग्राम पंचायत धोलीपाल जिसकी रूह से प्रार्थीगण के पिता द्वारा निलामी में क्रय शुदा भूखण्ड संख्या ए/बी—1 साईज 75 गुणा 150 फीट दिनाकित 29.03.1986 को कथित रूप से पार्क की भूमि होना व्यक्त कर निर्माण कार्य करने से निषिद्ध किया गया। बमुराद अपास्त किये जाने उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना—पत्र ।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः— 1. श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री तरसेम सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 02 ।

—:निर्णयः—

दिनांकः—26.12.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि आबादी ग्राम पंचायत धोलीपाल में प्रार्थीगण के पिता स्व० श्री गंगाजल पुत्र श्री गुमानाराम ने भूखण्ड सख्या ए/बी—1 साईज 75 गुणा 150 फीट निलामी दिनाक 20.03.1985 में 1125/— रूपया में खरीद किया था। अप्रार्थीगण ने इस भूखण्ड का पट्टा दिनांक 29.03.1986 को जारी कर रजिस्टर्ड करवाया। इस भूखण्ड की चतुर्सीमा निम्न प्रकार है —पूर्व गलीआम 75 फीट

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पश्चिम गलीआम 75 फीट उत्तर गलीआम 150 फीट दक्षिण गलीआम 150 फीट। प्रार्थीगण के पिता स्व० श्री गंगाजल का दिनांक 21.07.1990 को व माता स्व० श्रीमति रूकमादेवी का दिनांक 25.07.2004 को देहान्त हो गया। प्रार्थीगण स्व० श्री गंगाजल की पुत्र सन्तान है तथा उक्त भूखण्ड पर स्व० श्री गंगाजल के वारितान की हैसियत से काबिज है। उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य व धारण का है तथा इस भूखण्ड पर एक पुरानी लैट्रिन बनी हुई है तथा बनसट्टिया व रूड़ी आदि डालने के लिये उपयोग में लिया जा रहा है। सन् 2019 में प्रार्थीगण ने इस भूखण्ड पर कच्चा पक्का निर्माण करने हेतु स्वीकृति देने हेतु अप्रार्थीगण के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थीगण ने अनापति प्रमाण पत्र क्रमांक 105/2019 दिनांक 26.11.2019 जारी किया। लेकिन तत्पश्चात् कोविड–19 के कारण लॉकडाउन हो जाने से प्रार्थीगण इस भूखण्ड पर अनापति प्रमाण पत्र जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं कर सके। प्रार्थीगण ने इस भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अब माह अप्रेल 2021 में निर्माण सामग्री डालनी शुरू की तो अप्रार्थीगण ने आक्षेपित आदेश क्रमाक 18 दिनांक 20.04.2021 पारित कर प्रार्थीगण को इस भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से निषिद्ध किया है। प्रश्नगत भूखण्ड कभी भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं रहा अपितु आबादी भूमि का रिहायशी भूखण्ड था जो अप्रार्थीगण ने सार्वजनिक नीलामी में सन् 1985 में विक्रय किया तथा स्व० श्री गंगाजल ने उच्चतम बोली में यह भूखण्ड क्रय किया। अप्रार्थीगण ने इस भूखण्ड का पट्टा विलेख दिनांक 29.03.1986 को निष्पादित कर पंजीकृत करवाया है तथा तभी से यह भूखण्ड प्रार्थीगण के आधिपत्य व धारण में है। अप्रार्थीगण के वर्तमान सरपंच की प्रार्थीगण के परिवार के साथ राजनैतिक रंजिश है तथा उसने प्रार्थीगण को सदोष हानि पहुंचाने के लिये रिकार्ड में हेर–फेर कर मिथ्या रूप से इस भूखण्ड को पार्क होना प्रकट कर आक्षेपित आदेश पारित किया है। पंचायत के अभिलेख व नक्शा में यह भूखण्ड ए/बी–1 के रूप में दर्शित रहा है। वस्तुतः अप्रार्थीगण कुछ असामाजिक तत्वों की शै पर प्रार्थीगण के उक्त भूखण्ड को हड़पना चाहते है तथा इसी उद्देश्य हेतु यह आदेश मननाना तरीका पर पारित किया है। प्रार्थीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड पट्टा विलेख की मौजूदगी में अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के स्वामित्व शुदा भूखण्ड में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त आदेश प्राप्त होते ही इस अस्पष्ट एवं विधि विपरीत आदेश को प्रत्याहृत कर लेने हेतु दिनाक 22.04.2021 को जबाव प्रेषित कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद अप्रार्थीगण आक्षेपित आदेश के अनुसरण में प्रार्थीगण को उनके पट्टे शुदा एवं स्वामित्व शुदा भूखण्ड से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाये तथा अप्रार्थीगण द्वारा पारित आदेश क्रमांक 18 दिनाक 20.04.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीय की तलबी की गयी। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये की अप्रार्थीगण द्वारा पारित आदेश क्रमांक 18 दिनाक 20.04.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि पूर्व में ग्राम पंचायत के पास ए–बी/1 का रिकार्ड खोया हुआ था, बाद में तलाश करने पर मिल गया जिसकी प्रमाणित प्रतियां ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय में पेश की जा चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा रिकार्ड के अभाव में प्रार्थी के विरूध नोटिस की प्रकिया अपनाई गई थी। ग्राम पंचायत के रिकार्ड अनुसार निगरानीकर्ता के दादा गंगाजल पुत्र गुमानाराम को ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रकिया द्वारा उक्त प्लॉट निलाम किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

1. ग्राम पंचायत धौलीपाल पंचायत समिति हनुमानगढ के आदेश कमांक 18 दिनांक 20.04.2021 में निगराकर्ता को सुनवाई की तारीख खाली रखते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया है। जिससे सिद्ध है निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नही होने के कारण प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत नहीं है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बध में विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक पं.स. हनु/पंचायत/निगरानी/2025/3975 दिनांक 24.03.2025 अनुसार ग्राम पंचायत रिपोर्ट, रिकॉर्ड की अनुपलब्धता ग्राम विकास अधिकारी के बयान पंचायत समिति सादुलशहर से प्राप्त रिपोर्ट में रिकॉर्ड की अनुपलब्धता व मौजूद नक्शे में कांट छांट अप्रमाणित होने के कारण प्रश्नगत भूखण्ड के पार्क या भूखण्ड ए/बी–1 का प्रमाणीकरण किया जाना संभव नही है।
3. ग्राम पंचायत धौलीपाल के पत्रांक 459 दिनांक 04.12.2024 द्वारा विवादित भूखण्ड से सम्बधित निलामी पत्रावली की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड दिनांक 20.03.1985 को 1125/– रूपये में निलाम किया गया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है की प्रार्थी द्वारा विधिक प्रक्रिया से ग्राम पंचायत की निलामी में खरीदशुदा भूखण्ड पर ही निमार्ण शुरू किया था।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश वाके ग्राम पंचायत धोलीपाल पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक 18 दिनांक 20.04.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते